मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

शिवाजी नगर, भोपाल पिन–462011

दूरभाष क्रमांक 0755-2578594 E-mail- mpbsevk@gmail.com

क्रमांक / 669/वि.प्रशि.केन्द्र / 2023 भोपाल, दिनांक 08/12/2023

– विज्ञापन –

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2024 तक हेल्पलाइन सेवा संचालन हेतु अनुभवी एवं पात्र परामर्शदाताओं से पारिश्रमिक आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।

आवश्यक योग्यता / अर्हता –

- मनोविज्ञान विषय मे स्नातकोत्तर उपाधि (UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त)
- शालेय विद्यार्थियों की अकादमिक काउंसलिंग का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
- आवेदक की अधिकतम आयु 01 जनवरी 2024 की स्थिति मे 55 वर्ष से अधिक न हो।

आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, चयन प्रक्रिया तथा कार्य की अन्य शर्ते मण्डल की वेबसाइट mpbse.nic.in पर उपलब्ध हैं, एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल स्थित विज्ञान केन्द्र कक्ष में कार्यालयीन समय पर भी देखी जा सकती हैं।

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल स्थित विज्ञान केन्द्र कक्ष में दिनांक 21 / 12 / 2023 तक कार्यालयीन समय सॉय 05.30 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात तथा अपूर्ण प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा। पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार संबंधी सूचना पृथक से ई–मेल द्वारा दी जावेगी।

दूरभाष क्रमांक – 0755 - 2578594

सचिव

मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

शिवाजी नगर, भोपाल पिन–462011

दूरभाष क्रमांक 0755-2578594 E-mail- mpbsevk@gmail.com

हेल्पलाइन सेवा – 2024

फोटो चस्पा करें

आवेदन–पत्र

1	नाम (हिन्दी)	
2	**Name in English Capital Letters**	
3	पिता/पति का नाम	
4	जन्म तिथि	
5	पता	
6	फोन	मोबाइल – निवास –
7	बैंक संबंधी जानकारी	**Name of Bank** **Account No. IFSC**
8	पेन नम्बर	**PAN No -**
9	ई–मेल	
10	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता	हाईस्कूल की अंकसूची अनिवार्यतः संलग्न करें।
	1. एम.ए.मनोविज्ञान	उत्तीर्ण वर्ष परिणाम कुल पूर्णांक/प्राप्तांक प्रतिशत
	2. शालेय विद्यार्थियों की अकादमिक काउंसलिंग का अनुभव (वर्षा मे)	
11	पी.जी. डिप्लोमा इन गाइडेन्स एण्ड काउंसलिंग	उत्तीर्ण वर्ष परिणाम कुल पूर्णांक/प्राप्तांक प्रतिशत
12	डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर्स	
13	अन्यत्र कार्यरत हैं अथवा नही	

नोटः–

1. जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल की अंकसूची, कार्यानुभव एवं अन्य शैक्षणिक योग्यताओं की अंकसूची/प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें। समस्त डिग्री एवं डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है।
2. नियोक्ता का प्रमाणीकरण आवश्यक होने की दशा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
3. आवेदन दिनांक 21/12/2023 को सॉय 05.30 तक माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के विज्ञान केन्द्र कक्ष में अनिवार्य रूप से जमा करें। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात तथा अपूर्ण प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नियोक्ता का प्रमाणीकरण

आवेदक का नाम ....वर्तमान में संस्था ....में .... पद पर कार्यरत हैं। इनका कार्य समय ....है। इनका चयन मण्डल हेल्पलाइन सेवा में होने की दशा में इस संस्था/कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ती नही है।

(हस्ताक्षार एवं सील)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

हेल्पलाईन सेवा 2024 परामर्शदाताओं की सेवा–शर्ते

1. कार्य एवं शर्ते –

1.1 चयनित काउंसलर्स को निर्धारित दिनांक तक मण्डल की हेल्पलाइन सेवा ज्वाइन करना अनिवार्य है। नियत तिथि तक ज्वाइन न करने की स्थिति मे संबंधित काउंसलर का चयन स्वतः निरस्त माना जाकर रिज़र्व सूची से वरियता क्रम अनुसार रिजर्व काउंसलर को कार्यरत काउंसलर के रूप मे चयनित किया जावेगा।

1.2. काउंसलिग कार्य हेतु मण्डल में स्वीकृत दर अनुसार रू. 215/– प्रति धन्टे की दर से मानदेय देय होगा, जो प्रतिमाह कार्य में उपस्थिति के आधार पर गणना कर सीधे संबंधित काउंसलर के बैंक खाते में जमा किया जावेगा।

1.3. परामर्शदाताओं द्वारा अन्य विभाग/कार्यालय/स्कूल आदि में कार्यरत होने की दशा में उस विभाग के नियोक्ता से कार्यरत समय के उल्लेख सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

1.4 चयनित उम्मीदवार को प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 के मध्य 04–04 घन्टे की पारियों में अपनी सेवायें देनी होंगी जो आवश्यकतानुसार समय–समय पर रोटेशन पद्धति से परिवर्तित की जा सकेंगी। मण्डल के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्य/समय मे सेवायें देने से इंकार किये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

1.5 कार्यरत एवं रिज़र्व कांउसलर्स का कार्य संतोषजनक न पाये जाने अथवा किसी कार्यरत काउंसलर द्वारा हेल्पलाइन सेवा छोडने की स्थिति मे रिज़र्व सूची से वरियता क्रम अनुसार रिजर्व काउंसलर को कार्यरत काउंसलर के रूप मे चयनित किया जावेगा।

1.6 रिज़र्व काउंसलर्स द्वारा लगातार सेवा देने से इंकार करने की स्थिति मे उनको सेवा से पृथक कर वरियता क्रम अनुसार अगले काउंसलर को रिज़र्व काउंसलर के रूप मे चयनित किया जावेगा।

1.7 अपरिहार्य/अतिआवश्यक कार्य होने पर पूर्व सूचना/अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक है। बिना पूर्व सूचना/अनुमति के लगातार एवं अधिक समय तक हेल्पलाइन सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण हेल्पलाइन सेवा प्रभावित होने की स्थिति में संबंधित काउंसलर की सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

1.8 समस्त काउंसलर्स को मण्डल द्वारा दिये जाने वाले सभी उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित काउंसलर की सेवाये समाप्त की जा सकेंगी।

1.9 चयनित उम्मीदवारो द्वारा रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार टंकित शपथ–पत्र नोटरी कर प्रस्तुत किया जाना है, साथ ही बैक विवरण, फार्म–15 G एवं पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां जमा करें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु इन्कम टेक्स रिर्टन जमा कर उसकी छायाप्रति मण्डल को प्रस्तुत करें।

1.10 किसी भी स्थिति मे मण्डल हित में निर्णय का अधिकार सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल को रहेगा।

2. काउंसलर्स की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं –

- मनोविज्ञान विषय मे स्नातकोत्तर उपाधि (UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त)
- अकादमिक काउंसलिंग का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
- आवेदक की अधिकतम आयु 01 जनवरी 2024 की स्थिति मे 55 वर्ष से अधिक न हो।

3. कांउसलर्स के चयन हेतु मूल्यांकन के मापदण्ड एवं अंक निर्धारण –

स.क्र	योग्यता एवं अनुभव	निर्धारित अंक (कुल 100)
1	मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त)	70 अंक (अंकसूची में प्राप्त अंकों का 70 प्रतिशत)
2	पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एवं काउंसलिंग (PGDGC) (UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त)	10 अंक
3	डग्री/पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर्स UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त।	10 अंक
4	साक्षात्कार	10 अंक

3.1 पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाकर समिति से अनुमोदन उपरान्त पात्र उम्मीदवरों को साक्षात्कार हेतु 29/12/2023 को आमंत्रित किया जावेगा जिसकी सूचना ई–मेल के माध्यम से दी जावेगी।

3.2 समस्त काउंसलर्स को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा दिये जाने वाले सभी उन्मुखीकरण कार्यक्रमों मे सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित काउंसलर की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

3.3 किसी भी स्थिति मे मण्डल हित मे निर्णय का अधिकार सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल को रहेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
म.प्र. भोपाल